

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

निगरानी संख्या-25/2022

विकास अधिकारी पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण जिला अजमेर जरिये श्री विजय सिंह, विकास अधिकारी

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत सराधना, जिला अजमेर
2. ग्राम सेवक एवं पदेव सचिव, ग्राम पंचायत सराधना, जिला अजमेर
.....प्रफोर्मा पक्षकार
3. श्रीमति प्रेमदेवी पत्नि स्व० श्री मदनलाल
4. श्री गोविन्द
5. श्री कमलेश
पुत्रगण स्व० श्री मदनलाल
6. श्री राजन चौधरी
7. श्री शिव करण
पुत्रगण स्व० श्री नारायण चौधरी
समस्त निवासीगण ग्राम सराधना, जिला अजमेर

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज० अधिनियम 1994

उपस्थित :-

- 1- श्री राजीव सक्सेना व श्री रमेश आचार्य, वकील निगरानीकर्ता की ओर से।
- 2- श्री सुमित जैन, वकील गैर निगरानीकार संख्या 6 व 7 की ओर से।



-: आदेश :-

दिनांक-30.04.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि सरपंच ग्राम पंचायत सराधना पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर श्री मदनलाल पुत्र श्री भंवरलाल सोनी, निवासी ग्राम सराधना के पक्ष में दिनांक 19.09.1986 को आबादी भूमि का पट्टा संख्या 61 क्षेत्रफल 3600 वर्गफुट जारी कर दिया। निगरानीकार ने ग्राम पंचायत, सराधना द्वारा श्री मदनलाल पुत्र


अपर कलक्टर
अजमेर

श्री भंवरलाल सोनी, ग्राम सराधना के पक्ष में जारी किए गये विवादित पट्टे को विभिन्न कारणों से विधि विरुद्ध मानते हुए यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की है। निगरानी पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 3 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब नोटिस पेश किया। अप्रार्थी संख्या 6 व 7 जरिये वकील उपस्थित हुए तथा जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

बहस प्रारंभ होने से पूर्व वकील अप्रार्थी संख्या 6 व 7 द्वारा मियाद के बिन्दु पर प्रारंभिक एतराज दर्ज करवाते हुए कथन किया कि निगरानीकार द्वारा निगरानी बाद मियाद पेश की गई है। उनका कथन है कि विवादित पट्टा विलेख दिनांक 19.09.1986 को विधिवत जारी किया गया है जिसकी जानकारी निगरानीकार को प्रारम्भ से ही थी। ऐसे विवादित प्रकरण में निगरानी प्रस्तुती हेतु 90 दिवस की मियाद अवधि निश्चित है जबकि निगरानीकार द्वारा लगभग 30 वर्षों के लम्बे अन्तराल पश्चात निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है जो कि भारी मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। वकील अप्रार्थी संख्या 6 व 7 द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए वकील निगरानीकार ने कथन किया कि धारा 97 के तहत निगरानी पेश करने की मियाद निर्धारित नहीं है। धारा 97(3) में 90 दिवस की अवधि धारा 97(1) में पारित आदेश को पुनःविलोकन करने की है न कि निगरानी पेश करने की। उन्होंने यह भी कथन किया कि निगरानी सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय को है। अतः वकील अप्रार्थी संख्या 6 व 7 द्वारा प्रस्तुत तर्क आधारहीन है। निगरानी गुणावगुण पर निर्णित की जावे।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 97 के तहत निगरानी पेश करने की कोई मियाद निर्धारित नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(1) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "राज्य सरकार स्वप्रण से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थाई समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उत्तर दिया या पुनःविचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिये तो यह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी।" इससे स्पष्ट है कि धारा 97(1) में निगरानी प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या 6 व 7 द्वारा प्रस्तुत तर्कों को खारिज करते हुए निगरानी गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि पंचायत समिति पीसांगन की रिपोर्ट दिनांक 05.10.2016, ग्राम पंचायत सराधना के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 07.10.2016 एवं जन सतर्कता समिति, अजमेर के प्रकरण संख्या



Dr. /
अपर कलेक्टर
अजमेर

58/2016 में दिये गये आदेश दिनांक 20.10.2016 के अनुसरण में श्री मदनलाल पुत्र श्री भंवरलाल के विरुद्ध निगरानी संख्या 84/2016 पेश की गई थी जो कि जानकारी के अभाव में मृत व्यक्ति के विरुद्ध पेश होने से इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 01.02.2017 को विधिक जायन्दा वारिसान व विवादित प्लॉट के क्रेता को पक्षकार बनाकर नये सिरे से निगरानी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे जिसकी पालना में निगरानी संख्या 28/2017 पेश की गई थी। उक्त निगरानी में दिनांक 17.05.2022 को अंतिम निर्णय पारित कर निर्देशित किया गया था कि "उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका निरस्त की जाकर उन्हे निर्देशित किया जाता है कि वे सरपंच एवं ग्राम सेवक व पदेन सचिव ग्राम पंचायत सराधना को आवश्यक पक्षकार संयोजित कर नये सिरे से निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।" उक्त आदेश की पालना में वर्तमान सरपंच व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत सराधना, अजमेर को पक्षकार बनाकर विचाराधीन निगरानी पेश की गई है। श्री नारायण लाल पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सराधना का स्वर्गवास हो जाने व श्री मदनलाल पूर्व ग्राम सेवक सेवानिवृत्त होने व जानकारी नहीं होने से उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। उनका कथन है कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति, अजमेर के समक्ष परिवेदना पर दर्ज प्रकरण संख्या 58/2016 के क्रम में संयुक्त जांच कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 05.10.2016 में इंगित किया गया है कि "ग्राम पंचायत सराधना द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम 1978 के विपरीत पुराना खसरा संख्या 2314 की भूमि पर जो पट्टा जारी किया गया है वह राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से पंचायत भूमि में 150 फुट की परिधी के भीतर जारी किया गया है तथा अप्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड के अतिरिक्त तारबंदी व पत्थर डालकर अतिक्रमण कर रखा है।" विवादित भूखण्ड का पट्टा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 269 (2)(ख) में राष्ट्रीय राजमार्ग की मध्यवर्ती रेखा से 150 फुट तक का भूमि का बेचान व पक्का निर्माण अपवर्जित होने से अवैध है। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1978 का 269 (2)(ख) इस प्रकार है कि "कोई पंचायत निम्न लिखित विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर न तो कोई आबादी जमीन बेचेगी और न ही कोई पक्का निर्माण (स्ट्रक्चर) करने की अनुमति देगी।" (ख)-राष्ट्रीय राजमार्ग की मध्यवर्ती रेखा से 150 फुट" इस प्रकार आक्षेपीय पट्टा पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत अधिनियम 1978 के विरुद्ध है एवं नियमानुसार अपवर्जित होने से निरस्त योग्य है। विवादित पट्टा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 व वर्तमान राजस्थान पंचायत नियम 1994 के भी प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि निगरानी याचिका स्वीकार कर पट्टाधारी के पक्ष में जारी किया गया आक्षेपीय विक्रय विलेख पट्टा संख्या 61 दिनांक 19.09.1986 निरस्त किया जावे।

वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 6 व 7 का कथन है कि निगरानीकार द्वारा निगरानी में समस्त गलत तथ्य अंकित किये गये हैं। निगरानीकार द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 17.05.2022 की पालना में निगरानी पेश की गई है जिसमें स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि "उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका निरस्त की जाकर उन्हे निर्देशित किया जाता है कि वे सरपंच एवं ग्राम सेवक व



Sm
अपर कलेक्टर
अजमेर

पदेन सचिव ग्राम पंचायत सराधना को आवश्यक पक्षकार संयोजित कर नये सिरे से निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।" निगरानीकार ने निगरानी याचिका में श्री नारायण लाल पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सराधना का स्वर्गवास हो जाने एवं श्री मदनलाल पूर्व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत सराधना के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उन्हें पक्षकार नहीं बनाये जाने का कथन किया है, जबकि विधिक स्थिति अनुसार प्रस्तुत निगरानी में उन्हें व्यक्तिशः पक्षकार निरूपित नहीं करते हुए पद की हैसियत से पदों को पक्षकार निरूपित किया जाकर निगरानी पेश की जानी चाहिये थी किन्तु विचाराधीन निगरानी में सरपंच व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत सराधना को तरतीबी पक्षकार निरूपित किया गया है जबकि वे प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं। इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों को दरकिनारा कर आवश्यक पक्षकार को तरतीबी पक्षकार निरूपित कर प्रस्तुत किया गया प्रकरण संधारण योग्य नहीं होने से काबिल निरस्तनीय है। उनका आगे कथन है कि ग्राम पंचायत सराधना द्वारा पट्टाधारी के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा विधिवत एवं राजस्थान पंचायती राज नियमों के अनुकूल जारी किया गया है। पट्टाधारी को आवंटित पट्टा वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से दूर स्थित है जिसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। आक्षेपीय भूखण्ड/पट्टा के दक्षिण दिशा में स्थित मार्ग न होकर राष्ट्रीय राजमार्ग की सम्पर्क सड़क है, फलस्वरूप प्रस्तुत प्रकरण पर राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 269 (2)(ख) के प्रावधान चस्पा नहीं होते हैं। उक्त वर्णित सम्पर्क सड़क पर 150 फीट से भी कम दूरी पर राजकीय विद्यालय, चिकित्सालय, कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय, सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक, विद्युत सब स्टेशन आदि पूर्व से निर्मित होकर अन्य दुकानें व फैक्ट्री निर्मित है। निगरानीकार द्वारा अन्य किसी भी पक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर द्वेषतावश केवल अप्रार्थीगण के विरुद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है जबकि वर्तमान में भी ग्राम पंचायत सराधना द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 व 7 से लगती हुई लाईन में नवीन पट्टे जारी किये गये हैं। उन्होने आगे कथन किया कि विचाराधीन प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व ही प्रशासन गांवों के संग अभियान में उक्त मार्ग पर अंजू पुत्र छोगा जाति छाबड़िया वाले के पक्ष में दिनांक 15.03.2013 को पट्टा संख्या 1 एवं प्रकरण प्रस्तुत किये जाने के पश्चात राजकीय पशु चिकित्सालय सराधना (अजमेर) के पक्ष में पट्टा संख्या 44 दिनांक 24.07.2017 जारी किया गया है। इस प्रकार निगरानीकार न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आकर सारवान व सम्पूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए निगरानी पेश करने में भारी भूल कारित की है। केवल अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की बदनीयति से अधूरे तथ्यों के साथ निगरानी पेश की गई है। न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण तथ्य प्रकट करने चाहिये जैसे क्या उक्त मार्ग पर मदनलाल के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति या संस्था को कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है? यदि जारी किया गया है तो कब किया गया है, किस-किस को जारी किया गया है? तथा उक्त पट्टों को निरस्त किये जाने का कोई आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है आदि? उक्त बाबत सम्पूर्ण तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट करते, जो नहीं किये गये हैं। फलस्वरूप निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में उन्होने कथन किया कि



अपर कलेक्टर
अजमेर

निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका में कोई विधिक या तथ्यात्मक बल नहीं होने से निरस्त की जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अप्रार्थी संख्या 6 व 7 के समर्थन में जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि आक्षेपित पट्टा आवंटी के पक्ष में विधिवत जारी किया गया है जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं होकर राष्ट्रीय राजमार्ग की सम्पर्क सड़क पर है। पट्टे को लगभग 30 वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद चुनौती दी गई है जिसके मध्य में कई व्यक्तियों एवं सरकारी संस्थाओं को वादग्रस्त भूखण्ड की पंक्ति में कई आवंटन किये जा चुके हैं जो उक्त आदेश से प्रभावी होंगे एवं बिना अन्य आवंटियों को पक्षकार निरूपित किये प्रस्तुत निगरानी संधारण योग्य नहीं है। निगरानी प्रस्तुत किये जाने से पूर्व उक्त मार्ग पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 15.03.2013 को अंजू पुत्र छोगा के पक्ष में पट्टा संख्या 1 एवं प्रकरण प्रस्तुत किये जाने के पश्चात राजकीय पशु चिकित्सालय सराधना (अजमेर) के पक्ष में पट्टा संख्या 44 दिनांक 24.07.2017 जारी किया गया है। उक्त सम्पर्क सड़क पर 150 फीट से भी कम दूरी पर उसी पंक्ति में राजकीय विद्यालय, चिकित्सालय, कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय, सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक, विद्युत सब स्टेशन आदि पूर्व से निर्मित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अन्य दुकानें व फैंक्ट्री भी आवंटित की गई है। अतः निगरानी निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति, अजमेर के समक्ष दर्ज प्रकरण संख्या 58/2016 में प्राप्त संयुक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 05.10.2016 के आधार पर विचाराधीन निगरानी पेश की गई है। वकील निगरानीकार का यह कथन कि आक्षेपीय पट्टा ग्राम पंचायत सराधना द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम 1978 के विपरीत पुराना खसरा संख्या 2314 की भूमि पर राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से पंचायत भूमि में 150 फुट की परिधी के भीतर जारी किया गया है जबकि राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 269 (2)(ख) में राष्ट्रीय राजमार्ग की मध्यवर्ती रेखा से 150 फुट तक का भूमि का बेचान व पक्का निर्माण अपवर्जित है। इस बिन्दु/तथ्य के परिपेक्ष्य में विकास अधिकारी, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण एवं तहसीलदार अजमेर से विवादित पट्टा भूमि की संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट में आक्षेपित पट्टा भूमि/भूखण्ड वर्तमान में अजमेर-सराधना-ब्यावर मुख्य सड़क से 75 फीट दूरी पर स्थित होने एवं सड़क के मध्य से 135 फीट सीमा में होने के तथ्य प्रकट हुए हैं। राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 269 (2) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "कोई पंचायत निम्नलिखित विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर न तो कोई आबादी जमीन बेचेगी और न ही कोई पक्का निर्माण (स्ट्रक्चर) करने की अनुमति देगी।" तथा नियम 269 (2)(ख) में राष्ट्रीय राजमार्ग की मध्यवर्ती रेखा से एक सौ पचास फुट" का प्रावधान होना अंकित है। इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 161 (2)(ख) में भी इसी अनुरूप प्रावधान को परिभाषित किया गया है। इस प्रकार आक्षेपीय पट्टा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 एवं नियम 1996 के विरुद्ध जारी किया गया है, जो अवैधानिक है।



अपर-कलेक्टर
अजमेर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर श्री मदनलाल पुत्र श्री भंवरलाल सोनी, निवासी ग्राम सराधना के पक्ष में जारी आबादी भूमि विक्रय विलेख पट्टा संख्या 61 दिनांक 19.09.1986 निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।



Jm
(ज्योति ककवानी)
(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर
अजमेर